

4

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

2022/344 ✓

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गोरडा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 51 में सन्तु पुत्र कल्याण ठाकुरी का नाम दर्ज है जबकि सन्तु पुत्र कल्याण ठाकुरी का नाम सन्तु पुत्र कल्याण ठाकुरी के बजाय सन्तु पुत्र कल्याण ठाकुरी के नाम पर दर्ज है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक:-

प्रार्थी

(सन्तु पुत्र कल्याण ठाकुरी)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम गोरडा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 के खाता संख्या 51 में प्रार्थी का नाम सन्तु पुत्र कल्याण ठाकुरी दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम सन्तु पुत्र कल्याण ठाकुरी है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. गोरडा

24-6-2022

उजला नारायण
(पटवारी)
गोरडा
पटवारी गोरडा (भील.)
24-6-2022

रिपोर्ट तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा.भू.राज. अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी गोरडा व भू.अ.नि. गोरडा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम गोरडा की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 79 की खाता संख्या 51 में प्रार्थी का नाम सन्तु पुत्र कल्याण ठाकुरी के बजाय सन्तु पुत्र कल्याण ठाकुरी किये जाने हेतु अभिशंभा की जाती है।

गोरडा
तहसीलदार

200/22
29/6/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम गोरडा जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 51 में दर्ज प्रार्थी का नाम सन्तु पुत्र कल्याण ठाकुरी के स्थान पर सन्तु पुत्र कल्याण ठाकुरी संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

गोरडा
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)